फर्द अहकाम
(नियम 26)
अज अदालत **उप खण्ड अधिकारी** मुकाम **सूरजगढ़**

**रामेश्वर बनाम कर्णसिंह वगै0**

किस्म मुकदमा धारा **प्रार्थना पत्र 212**

मुकदमा न0 ..37....... / **2023**

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 04.04.2023 | प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए सुश्री संजू तंवर अधिवक्ता के द्वारा पेश किया गया। वकील प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर प्रार्थी के पक्ष में प्रथम दृष्टया सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति का मामला बनता है। अतः अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंन्धित किया जाता है कि मौजा ग्राम सुजड़ोला तहसील सुरजगढ़ के ख0न0 235 रकबा 2.60 है0 ख0न0 4 रकबा 4.06 है0 ख0न0 45 रकबा 2.09 कुल किता 3 कुल रकबा 8.75 हैक्ट0 कृषि भूमि को रहन बैय न करे व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें व प्रार्थी के हिस्से का बेचान न करे। बैंक ऋण (RODA ACT) पर उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा लागू नहीं होगी। उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा केवल आगामी तारीख पेशी तक ही लागू होगी। अप्रार्थीगण को नाटिस जारी हो। आगामी तारीख पेशी पर अप्रार्थीगण को तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं सामान्य नोटिस प्रस्तुत नहीं करने तथा प्रार्थी प्रतिनिधि अपस्थित नहीं होने पर अस्थई निशेधाज्ञा स्वतः ही निरस्त समझी जावेगी। आदेश 39 नियम 3 की पालना सुनिश्चित हो। इस बाबत कोई उज्र एतराज हो तो अप्रार्थीगण असालतन या वकालतन हाजिर होकर जबाब प्रार्थना पत्र पेश करे कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई व्यादेश ताफैसला बाद कन्फर्म करे कि क्यों न प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अस्थाई व्यादेश ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया जावे तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे तथा अप्रार्थीगण को तलबी हेतु रजिस्टर्ड एवं व सामान्य नोटिस भिजवाया जाकर तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 08.05.2023 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ | |
| 8-5-23 | वकील पक्षकारान उपस्थित / पीठासीन अधिकारी अवकाश / ... पर है। विसा ... आमन्दा दिनांक 15/5/23 को पेश हो।<br>(हस्ताक्षर)<br>रीडर | |
| 15.5.23 | आज यह पत्रावली मूल दावा के साथ पेश हुई। वादी द्वारा मूल दावा विड्रो किया जा चुका है। अतः प्रार्थनापत्र को आगे चलने का कोई औचित्य नहीं है। अतः प्रार्थनापत्र नोट प्रेस में | (हस्ताक्षर) |

खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल कुमार
हेकर नम्बर से कम है तथा मूल दावा के
संलग्न रहे। [signature]

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ